

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
राजस्व लोक अदालत मुकाम लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा  
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :  
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 55/2017

- अनवान  
1 सांवरमल पिता सोजीराम गुर्जर निवासी धाकडखेडा, लोटियास तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा ..... वादी
- बनाम  
1 नारायण पिता रामा गुर्जर निवासी धाकडखेडा, लोटियास तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा  
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सांवरमल गुर्जर..... वादी  
श्री नारायण गुर्जर.....प्रतिवादी

दिनांक 07.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाटियास पटवार हल्का क्षेत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 77 के आराजी संख्या 732, 733, 734 कुल किता 03 कुल रकबा 09-00 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम सांवरलाल पिता काना 1/4 के स्थान पर सांवरलाल पिता सोजीराम 1/4 सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 07.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रत्नलाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा